

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—सं.3(4)(2)च.श्रे.कर्म./विविध/अभि/2012/16097-16120

दिनांक 22-11-17

— आदेश —

अभियोजन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.11/94 दिनांक 11.7.2017 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिकों को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड पे के अनुसार (परिच्छिप्त-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से संविदा पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	श्री कैलश चन्द्र छीपा	08.10.1956	न्याय विभाग, भीलवाडा	भीलवाडा	प्रथम बार
2.	श्री दीताराम बरण्डा	08.08.1954	उपखण्ड कार्यालय, डूंगरपुर	डूंगरपुर	प्रथम बार
3.	श्री चन्द्र प्रकल्ल बारेगामा	06.07.1956	जल संसाधन विभाग, चित्तोडगढ	चित्तोडगढ	प्रथम बार
4.	श्री गणेश लाल राजपूत	15.6.1954	आयुर्वेद चिकित्सालय, डूंगरपुर	डूंगरपुर	प्रथम बार
5.	श्री तिलोक चन्द सांखला	8.7.1956	शिक्षा विभाग, नागौर	नागौर	प्रथम बार
6.	श्री चम्पालाल पंवार	10.1.1957	शिक्षा विभाग, जैसलमेर	जैसलमेर	प्रथम बार
7.	श्री रामचरण गूर्जर	05.7.1956	राजस्व, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	प्रथम बार
8.	श्री देवी लाल शर्मा	06.7.1954	सनिअ, भीलवाडा	भीलवाडा	प्रथम बार
9.	श्री पूरण दास गोस्वामी	15.5.1957	सनिअ, डूंगरपुर	डूंगरपुर	प्रथम बार
10.	श्री वृद्धिचन्द सालवी	15.6.1957	सनिअ, चित्तोडगढ	चित्तोडगढ	प्रथम बार
11.	श्री रामस्वरुप मेहरा	15.6.1957	सनिअ, प्रथम जयपुर शहर	जयपुर शहर	प्रथम बार
12.	श्री देवी सिंह	01.6.1957	सनिअ, जयपुर देहात	जयपुर देहात	प्रथम बार
13.	श्री खींवाराम	23.9.1956	सनिअ, झुन्झनू	झुन्झनू	प्रथम बार
14.	श्री रामूराम	28.3.1957	सनिअ, नागौर	नागौर	प्रथम बार
15.	श्री सोहन सिंह राठौड	09.7.1957	सनिअ, राजसमन्द	राजसमन्द	प्रथम बार

- कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 10.02.2016 एवं 11.07.2017 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।

2. सहायक निदेशक अभियोजन संविदा पर नियुक्ति कार्मिक से नियमानुसार 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इंकारनामा सम्पादित करायेगें।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेगें।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आक्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी द्वा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवेतन व्यय (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या RAJ-E 00744/गृह-10/17/PSH दिनांक 13.11.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

80

(देवेन्द्र दीक्षित)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जयपुर प्रथम।
4. सहायक निदेशक अभियोजन-----
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
6. लेखशाखा/रक्षित पत्रावली

716/-  
22/11/17  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर